

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गृह विभाग (आरक्षी शाखा),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जून, 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना के मांग सं0-22 मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं-090-सचिवालय-0006 गृह (आरक्षी) विभाग के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गृह (आरक्षी) विभाग के स्थापना मद में विपत्र कोड N2052000900006 अंतर्गत विभिन्न मदों में विभागीय पत्रांक-21, दिनांक 25.04.2016 द्वारा पूर्व आवंटित राशि के अतिरिक्त प्राप्त अधियाचना के आलोक में सम्प्रति निम्नांकित रूप से कुल-₹ 31,00,000 (एकतीस लाख रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है :-

क्र0सं0	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1.	13 01-कार्यालय व्यय	₹ 550000	₹ 1100000	₹ 1650000
2.	28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	₹ 1000000	₹ 2000000	₹ 3000000
कुल योग :-		₹ 15,50,000	₹ 31,00,000	₹ 46,50,000

2. यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना के मांग सं0-22, मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उप शीर्ष-0006 गृह (आरक्षी) विभाग, विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय, 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं तथा विपत्र कोड N2052000900006 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

6. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

8. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन, गृह (आरक्षी) विभाग के प्रशाखा-6 को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0ग0यो0-01-30/2015ग0आ0.....पटना, दिनांक 02 जून, 2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार सिंचाई भवन, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), गृह विभाग (आरक्षी शाखा), पटना तथा आई0 टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव